प्रेस नोट

वादिया श्रीमती भूरी पत्नी बसीर खां निवासी काशीराम कालोनी की तहरीर के आधार पर थाना कोत0 उरई में अपराध संख्या 312/21 धारा 364 भादवि बनाम अज्ञात बाबत दिनांक 29.04.2021 को समय 17.00 बजे कोंच बस स्टैण्ड प्रतीक्षालय से अपने पुत्र रशीद उम्र 24 बर्ष व भाई नसीम पुत्र शेर खां निवासी कुईयां रोड इन्द्रानगर उरई उम्र 18 बर्ष के अपहरण का अभियोग पंजीकृत कराया था दिनांक 04.05.2021 को समय 00.37 बजे सूचनाकर्ता वीपी सेंगर नि0 ग्राम जुगराजपुरा थाना सिरसाकलार द्वारा थाना सिरसाकलार पर सूचना दी गयी कि गांव जुगराजपुरा व मउ कनार गांव के मध्य पठानबाबा थान से लगभग 800 मीटर दूर रो से दाहनी तरफ जंगल में 02 अधजले शव पडे है शवों के प्राप्त होने की सूचना पर थाना सिरसाकलार पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों के शिनाख्त के प्रयास के दौरान ज्ञात हुआ कि कोत0 उरई पर पंजीकृत अभियोग से संबन्धित अपहृत है जिनकी पहचान उनके परिजनों द्वारा की गयी इस संबन्ध में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरना प्रकाश में आये 05 अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है गिरफ्तार अभियुक्त रफीक मृतक का रिस्तेदार है जिनमें पूर्व में रंजिश को लेकर आपस में विवाद हुआ था इसी को लेकर अभियुक्तो द्वारा घटना कारित की गयी है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण

1-रफीक पुत्र कल्लू नि0 इन्द्रानगर तुफैलपुरवा थाना कोत0 उरई

2-प्रमोद यादव पुत्र स्व लक्ष्मीप्रसाद नि0 उपरोक्त

3.दीपत अहिरवार पुत्र अमर हाल नि0 इन्द्रानगर उरई

4-ओमप्रकाश उर्फ रिंकू पुत्र जगदीश यादव नि चंद्रनगर उरई

5- विवेक दुबे उर्फ कमाण्डो पुत्र जयराम दुबे नि0 उमा पीसीओ वाली गली उरई

Scanned with CamScanner